किसानों को नई ताकत : शिवराज

विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का संकल्प

43 नई वैरायटीज होंगी शामिल

17 टेक्नोलॉजी और 14 प्रकाशन होंगे

नई दिल्ली, 16 जुलाई. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां स्थापना दिवस आज नई दिल्ली के भारत रत्न सी. सुब्रमणियम ऑडिटोरियम, एनएएससी कॉम्प्लेक्स में मनाया गया.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान का रोडमैप सामने रखा. उन्होंने एक तरफ 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को पहली बार नियमित नियुक्ति देकर खुशी साझा की, तो दूसरी तरफ 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, हर संस्थान से परिवर्तनकारी इनोवेशन, 10 करोड़ किसानों तक आईसीएआर टेक्नोलॉजी पहुँचाने, नकली बीजङ्ककीटनाशक पर सख्त कानून और डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म जैसे ठोस लक्ष्य और संकल्प रखे. अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, उन पीढ़ियों को प्रणाम करने का दिन है जिनकी तपस्या ने अभाव को आत्मनिर्भरता में और संघर्ष को समाधान में बदला.

> 70 से अधिक एमओयू और टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग समझौतों के ज़रिए इन तकनीकों को निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के सहयोग से तेज़ी से किसानों तक पहुँचाने की दिशा तय की गई।शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर वैज्ञानिक की नौकरी केवल रोज़गार नहीं, बल्कि देश और दुनिया बदलने का मिशन है. उन्होंने श्रीकृष्ण के संदर्भ से बताया कि आदर्श कार्यकर्ता उत्साह से भरा, अहंकारङ्करहित, धैर्यवान और समन्वयकारी होता है और वैज्ञानिकों को भी इसी भाव से काम करना चाहिए. उन्होंने अपील की कि हर वैज्ञानिक किसानों के सपनों को अपना मिशन बनाए और अपनी पूरी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें.

एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के रिलीज पर लगाई रोक

भुवनेश्वर. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एली एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड की एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के रिलीज करने पर रोक लगा दी है. अदालत ने व्यवस्था दी है कि जारी रथ यात्रा उत्सव के दौरान इसे रिलीज करने से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है और भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने एक आदेश में निर्देश दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना या सुनवाई की अगली तारीख तक, जो भी पहले हो, फिल्म को 17 जुलाई या उसके बाद रिलीज नहीं किया जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को तय की गयी है. यह अंतरिम आदेश महेश कुमार साहू और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आया है.

9वीं में तीसरी भाषा न लाएं, छात्रों पर बढ़ता है दबाव : सुप्रीम कोर्ट

- जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया फैसला
- तमिलनाडु के नवोदय विद्यालय का मामला

नई दिल्ली, 16 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाए जाने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करना उचित नहीं है, इसी समय से छात्रों पर पढ़ाई और परीक्षाओं का दबाव बढ़ने लगता है. सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा की पढ़ाई 5वीं या 6वीं कक्षा से शुरू की जानी चाहिए और 9वीं कक्षा तक इसे पूरा कर लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 8वीं कक्षा के बाद से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है और ऐसे समय में नई भाषा जोड़ना छात्रों के लिए अतिरिक्त चुनौती बन सकता है. यह टिप्पणी उस समय आई जब तमिलनाडु सरकार की ओर से मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था.

> जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार नवोदय विद्यालयों का पूरा खर्च वहन करती है और राज्यों को केवल भूमि उपलब्ध करानी होती है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में नवोदय विद्यालय संचालित हैं, इसलिए तमिलनाडु में भी इन्हें स्थापित करने में बाधा नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि नीति में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा नहीं बताया गया है। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को राज्य की भाषा और अंग्रेजी के साथ किसी भी तीसरी भाषा का विकल्प दिया जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने उदाहरण देते हुए कहा कि तीसरी भाषा संस्कृत भी हो सकती है और यह आवश्यक नहीं कि वह हिंदी ही हो.

धारवाड़ में डॉक्टर की हत्या के बाद आठ साल के बेटे पर भी हमला

- पत्नी के बदलते बयानों की जांच में जुटी पुलिस

धारवाड़, 16 जुलाई. कर्नाटक के धारवाड़ में 45 वर्षीय एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. किरण होन्नावर की उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई, जबकि उनके 8 वर्षीय बेटे पर भी चाकू से हमला किया गया. घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी डॉ. प्रियंका से पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अभी हत्या के समय तथा कारण को लेकर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है. पुलिस के अनुसार, मामले का खुलासा तब हुआ जब डॉ. किरण के परिजन पूरे दिन उनसे संपर्क करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी. पत्नी ने परिजनों को अलग-अलग जानकारी दी.

2 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा

कानपुर में पुलिस का साइबर ठगों पर बड़ा प्रहार

13 आरोपी गिरफ्तार करोड़ों की ठगी का मामला उजागर

कानपुर,, 16 जुलाई. कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सचेंडी थाना क्षेत्र से 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

यह संगठित गिरोह खुद को पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी तथा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को कथित अश्लील वीडियो मामलों में फंसाने, मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने की धमकी देकर धन उगाही करता था. इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने सचेंडी क्षेत्र के गज्जापुरवा, नयापुरवा तथा आसपास के गांवों में एक साथ छापेमारी की. जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य खेतों और बागों में बनी झोपड़ियों में अलग-अलग समूहों में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए साइबर ठगी का संचालन कर रहे थे. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 29 मोबाइल फोन, तीन कारें तथा अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और उपकरणों की जांच में 48 आईएमईआई नंबर और 68 मोबाइल नंबर सक्रिय मिले. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सत्यापन के दौरान इनसे जुड़ी 189 साइबर शिकायतें सामने आई. 60 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर इस गिरोह से संबंधित पाए गए. प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह ने दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के नागरिकों को निशाना बनाया.

बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी

बारां, 16 जुलाई. राजस्थान में बारां में गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों के दल मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट भवन को तत्काल खाली कराया गया और परिसर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया.

इसके बाद बम निरोधक दस्ते एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे परिसर की गहन जांच की गई. उल्लेखनीय है कि बारां जिला कलेक्टर कार्यालय को इस प्रकार की ई-मेल से धमकी पहले भी मिल चुकी है. इससे पहले तीन बार कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी.

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **सिवनी-राजयोग पैलेस जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, राजयोग पैलेस, तिलक स्कूल के पास, छिंदवाड़ा चौक, सिवनी 480661, (मध्य प्रदेश),** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL28984337, GL28963446, GL32581261, GL42118496, GL34803344, GL34808161, GL35233700, GL38133562.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: सिवनी

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे केजरीवाल

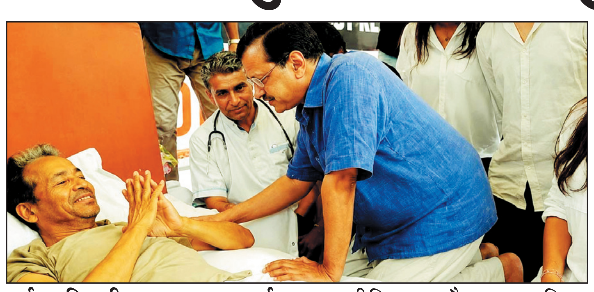

नई दिल्ली, 16 जुलाई. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गई. इस दौरान सोनम वांगचुक का हेल्थ चेकअप किया गया तो उनका वजन लगभग नौ किलोग्राम कम रहा.

अनशन के दौरान उनके समर्थन में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज रहीं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल यादव के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर-मंतर पहुंचे और वांगचुक से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से वांगचुक की बात सुनने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार को संवाद करना चाहिए.

> **कीमती है वांगचुक की जिंदगी : हाईकोर्ट**
>
> दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और कोर्ट को बताया कि इस मामले में मंगलवार को नोटिस जारी किया जा चुका है. कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाएं क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई तय व्यवस्था है.

सभी राज्य तीन महीने में बनाएं नीति : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र, लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **मण्डला-कृषि उपज मण्डी जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, कृषि उपज मंडी के सामने, पढाव रोड, मंडला-481661** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL30253014, GL32354468, GL37038829, GL38063771.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: मण्डला

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

सामान्य वन मंडल धरमजयगढ़ (छ.ग.)

ई-नीलाम विज्ञापन

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वन मंडल धरमजयगढ़ केकाष्ठागार धरमजयगढ़ में उपलब्ध इमारती एवं जलाऊ लकड़ी का दर्शित तिथि समय में ई-नीलाम किया जावेगा।

1. ई-नीलाम दिनांक — **22-07-2026**
2. ई-नीलाम समय — **प्रातः 09:00 बजे से प्रारंभ**

अ. क्र.	प्रजाति	नया वनोपज		पुराना वनोपज		योग वनोपज	
		लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में	लट्ठा घ.मी. में	बल्ली नग में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0	0	183.573	0	183.573	0
2	साल	550.000	80	2282.199	2933	2832.199	3013
3	बीजा	5.000	0	168.332	0	168.332	0
4	खम्हार	0	0	0	0	0	0
5	साजा	3.000	0	74.144	616	77.144	616
6	हल्दू	0	0	20.117	0	20.117	0
7	धावड़ा	1.000	0	13.113	209	14.113	209
8	सलिहा	0	0	7.915	0	7.915	0
9	अन्य	1.000	0	243.631	971	244.631	971
10	आर.टी.एल	0	0	0	0	0	0
	योग :-	**560.000**	**80**	**2988.024**	**4729**	**3548.024**	**4809**
11	**जलाऊ**	**300 चट्टा**	**—**	**4169 चट्टा**	**0**	**4469 चट्टा**	**—**

अतः इच्छुक व्यापारियों से अनुरोध है कि वे ई-नीलाम में भाग लेवें। ई-नीलाम की शर्तें व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय में डिपो से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त मात्रा में कमी—अधिकता संभव है।

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

262702128/4

इग्नू में पंजीकरण की तिथि 31 तक

नई दिल्ली, 16 जुलाई. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में नए प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण - की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है.

विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष अथवा अगले सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी 31 जुलाई तक ऑनलाइन पुन: पंजीकरण करने का अवसर प्रदान किया गया है. सभी प्रवेश एवं पुन: पंजीकरण की प्रक्रियाएं पूर्णत: ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जा रही हैं. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व एपीएआरआईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा आरक्षण श्रेणी प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रतियां तैयार रखने की सलाह दी गई है. प्रवेश शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है.वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक एवं प्रमुख उमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इग्नू देश का अग्रणी केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो देश-विदेश के विद्यार्थियों के लिए 350 से अधिक स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, लचीली, सुलभ एवं रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है.

अगले सात दिन में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली, 16 जुलाई. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां काफी तेज होने वाली हैं.मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने जा रहा है। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ दोनों के कारण देश के कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज किए जाने के आसार हैं।

टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

इस्तीफे के बाद भूपेंद्र यादव से की मुलाकात

कोलकाता, 16 जुलाई. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की राज्यसभा सांसद एवं अभिनेत्री कोयल मलिक (रूक्मिणी मलिक) ने गुरुवार को अपने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा. उनके इस्तीफे के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर जारी राजनीतिक हलचल एक बार फिर चर्चा में आ गई है. सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कोयल मलिक दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर भी पहुंचीं. इस मुलाकात के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर विभिन्न तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, उनकी ओर से किसी नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कोयल मलिक को तृणमूल कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही राज्यसभा भेजा था. उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए एक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है.

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **जबलपुर-लेबर चौक जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, पीएच नंबर 1476 कमला नेहरू नगर गढ़ा रोड जबलपुर, 482001,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL51498837, GL35564929, GL40581386, GL36389938, GL39892256, GL39884760, GL42779724, GL40267183, GL40351404, GL42780160, GL40352448, GL40383599, GL45547748, GL46831354, GL43790822, GL40390776, GL49228560, GL29947348, GL50874561, GL40336300, GL40474171, GL36805837, GL40760952, GL41866391.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: जबलपुर

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **कटनी-गणेश चौक जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, हाउस नं. 282, यूपी जलपान गृह के सामने, मधाई मंदिर के पास, सुभाष वार्ड, गणेश चौक, कटनी, 483501** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL33144381, GL34479405, GL34468447, GL40721594, GL37828990, GL38854694, GL40228959, GL47960275, GL40036812, GL40012423, GL40179495, GL40234084, GL48855622, GL40236862, GL48634608, GL47407740, GL44495355, GL43668685, GL46688713, GL49013081, GL43190666, GL45890366.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: कटनी

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 18.08.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **गाडरवारा-स्टेशन रोड जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, इंद्रा वार्ड, सिविल अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड, गाडरवारा -487551,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL32058066, GL22937541, GL34922037, GL34915710, GL34986464, GL34966677, GL38194383, GL39976295, GL40005095, GL40184243, GL40821505, GL40294284, GL40911491.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 17.07.2026
स्थान: नरसिंहपूर

Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड